

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

पुस्तक/एक-25/7/2002/10-3
प्रति,

भोपाल/दिनांक

पृ. क्र.

पिछला	अगला

अमर उपान मुख्य वन संरक्षक संस्टिक्षण,
मध्य प्रदेश, भोपाल ।

विद्यायः— बनहीनों में औद्या उत्थनन पर नियंत्रण बाधत ।

उन्दरीयः— इस विभाग द्वारा बारी परिषद ५०/१४७/९९/१०-३ पि० १२. १. २०००.

—००—

बनहीनों में औद्या उत्थनन कर नियंत्रण की सुट्टि से बारी सम्बन्धित परिषद में यह निम्न दिये गये थे कि प्रत्येक माह छनिव अधिकारी अपना जिलाध्य द्वारा मनोनीत अधिकारी समेत जिलाधिकारी, संयुक्त स्व से बदान देने का नियम कर प्रभाग्यक्षम थे कि छेदार द्वारा स्वीकृत बदान देने के बाद उत्थनन नहीं किया जा रहा है ।

उपर प्रभाग्यक्षम अभी तक राज्य शासन को सीधे प्राप्त हो रहे हैं किसी छायांकित अपर उपान मुख्य वन संरक्षक संस्टिक्षण को भेजी जाती है । शासन द्वारा अब यह नियम लिया गया है कि प्राप्त प्रभाग्यक्षम → एव्हाई कर प्रत्येक माह की बालकारी प्रमुख सचिव, वन विभाग को भेजी जाए ।

१ दृष्टि भेजें यादव ।
अवस्थाक्रम,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
पुस्तक/एक-25/7/2002/10-3 भोपाल/दिनांक ५-१-०२

प्रतिलिपि:-

१. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल को और सूचनार्थ डेक्कित सचिव, म. प्र. शासन, डनिज लाप्ल विभाग, भोपाल को और सूचनार्थ डेक्कित समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश ।
२. समस्त बनहीनों में जिलाधिकारी, मध्य प्रदेश ।
३. समस्त बनहीनों में जिलाधिकारी, मध्य प्रदेश ।
४. समस्त बनहीनों में जिलाधिकारी, मध्य प्रदेश ।

जो ओट भेजकर भेज है कि अवैध उत्थनन सोने संबंधी राज्य शासन को भेजा जा रहा संयुक्त प्रभाग्यक्षम अव आगामी माह से अपर उपान मुख्य वन संरक्षक संस्टिक्षण, मध्य प्रदेश बनहीनों में जिलाधिकारी, भोपाल को भेजे जाएं ।

४/२०१२

जबर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
५/११/०१